(85)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/खरगौन/भू.रा./2018/0204 विरूद्ध आदेश दिनांक 17.10.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 265/अपील/16-17.

दिनेश उर्फ जियालाल पिता गंगाराम अहिर
निवासी अहिर धामनोद, तह. कसरावद,
जिला खरगौन, म.प्र. ....आवेदक

विरूद्ध

1. गिरधारी पिता बल्लु अहिर
2. सुखदेव पिता बल्लु अहिर
3. मंगत पिता गंगाराम अहिर
4. संतोष पिता गंगाराम अहिर

निवासीगण अहिर धामनोद,
तह. कसरावद, जिला खरगौन ....अनावेदकगण

श्री मुकेश तारे, अभिभाषक, आवेदक

श्री जे.एस. मण्डलोई, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1 व 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/5/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 17.10.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्र. 1 व 2 द्वारा तहसीलदार, कसरावद, जिला खरगौन के समक्ष एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उनके स्वामित्व की कृषि भूमि ग्राम अहिर धामनोद, तहसील कसरावद में स्थित है तथा इस पर आने जाने के लिए उनका परम्परागत रास्ता आवेदक, अनावेदक क्र. 3 व 4 की भूमि में से है। अतः

उक्त रास्ता खुलवाया जाये। दिनांक 10.10.2013 को अंतरिम आदेश पारित कर अनावेदक क्र. 1 व 2 के पक्ष में रास्ता खुलवाया गया। इस अंतरिम आदेश के विरूद्ध आवेदक एवं अनावेदक क्र. 3 व 4 ने व्यवहार न्यायालय वर्ग-2, कसरावद के समक्ष एक दीवानी वाद दायर किया। व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 द्वारा प्र.क्र. 38-अ/2014 में पारित आदेश दिनांक 06.09.2014 को आवेदक एवं अनावेदक क्र. 3 व 4 के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किया गया, परंतु इसके पश्चात् आवेदक एवं अनावेदक क्र. 3 व 4 द्वारा कोई रूचि न लिये जाने के कारण व्यवहार न्यायालय से यह वाद निरस्त हो गया। इस कारण व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश और उसके पश्चात् जिला न्यायाधीश मण्डलेश्वर द्वारा पारित अपीलीय आदेश दोनों निष्प्रभावी हुए। इसके पश्चात् अनावेदक क्र. 1 व 2 द्वारा पुनः तहसीलदार के समक्ष एक आवेदन 31.03.2016 को उक्त विवरण बताते हुए प्रस्तुत किया और पूर्वानुसार अंतरिम रास्ता खुलवाने का निवेदन किया गया, जिसे तहसीलदार द्वारा प्र.क्र. 332/बी-121/15-16 में पारित आदेश दिनांक 20.06.2016 द्वारा निरस्त कर दिया गया, जिसकी एक अपील अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व कसरावद के समक्ष प्रस्तुत करने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 28.02.2017 से प्रस्तुत अपील निरस्त कर दी गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 17.10.2017 को आदेश पारित कर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुए अपील स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया, किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत निगरानी मेमो के आधार पर तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर, अनावेदक क्र. 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत अपील को प्रत्यावर्तित कर विधि की गंभीर त्रुटि की है। संहिता में हुए संशोधन के बाद से अधीनस्थ न्यायालय को किसी भी प्रकरण को प्रत्यावर्तित करने का क्षेत्राधिकार नहीं रहा है।

(2) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक क्र. 1 व 2 की अपील स्वीकार कर, जिस संहिता की धारा 131 के प्रकरण को पुर्नजीवित करने का आदेश दिया है, उसके निरस्ती के मूल आदेश

को अनावेदकगण द्वारा आज तक चुनौती नहीं दी गई है, ऐसी स्थिति में उक्त आदेश तो स्थिर हो गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया के बगैर उसे प्रत्यावर्तित कर पुर्नजीवित करने का आदेश देकर विधि की गंभीर त्रुटि की है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दो न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष को बिना किसी विधि के सारवान प्रश्न के निहित होते हुए भी उलट कर विधिक त्रुटि की है।

(4) अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के इस महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान नहीं देकर त्रुटि की हैं कि अनावेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य में बताये उपरोक्त सभी प्रकरणों की जानकारी छुपाई है। साथ ही यह तथ्य भी छुपाया है कि उसके द्वारा संहिता की धारा 131 के मूल प्रकरण के निरस्ती के आदेश को आज तक अपील में चुनौती नहीं दी है। अनावेदकगण द्वारा यह भी नहीं बताया कि उसके द्वारा सन् 2013 में पारित आदेश को सन् 2016 में आवेदन देकर पुन: खोलना चाहा है, जिसका मूल प्रकरण निरस्त हो गया है। अत: इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्ती योग्य है।

(5) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के इस तथ्य पर ध्यान नहीं देकर त्रुटि की गई है कि अनावेदकगण द्वारा सन् 2013 के प्रकरण को सन् 2016 में आवेदन देकर खुलवाना चाहा है, जिसमें लगभग 3 वर्ष का विलंब हो गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बगैर प्रकरण कि विलम्ब की अनदेखी कर विवादित आदेश पारित कर गंभीर त्रुटि की है।

(6) तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण के सदर विवाद के संबंध में दो बार आदेश पारित कर दिया है, जिसे अनावेदकगण द्वारा आज तक अपील में चुनौती नहीं दी है। उक्त आदेश स्थिर होकर अंतिम हो गये हैं, जिन्हें बिना चुनौती दिये नया आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध होकर निरस्ती योग्य है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक क्र. 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) मौके पर हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा अनावेदक क्र. 1 व 2 का वहीवाटी रास्ता पाया गया है, ऐसी स्थिति में भी अनावेदक क्र. 1 व 2 के विरूद्ध त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकालते एवं प्रतिवेदन प्राप्ति के पूर्व ही अनावेदक क्र. 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत अपील अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त कर दी गई थी, जबकि अनुविभागीय अधिकारी को ऐसा किये जाने का विधि अनुसार कोई अधिकार नहीं था। इस तथ्य को अपर आयुक्त द्वारा समझते हुये एवं इस प्रकार की दूषित कार्यवाही को विधिसम्मत न होने के आधार पर अनावेदक क्र. 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकारते हुए अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा पारित त्रुटिपूर्ण आदेशों को अपास्त किया गया है, ऐसी स्थिति में भी अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन-परिवर्धन विधि अनुसार पोषणीय नहीं है एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश एक विधिसम्मत आदेश का स्थान रखता है।

(2) आवेदकगण द्वारा व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, कसरावद में प्रस्तुत दीवानी वाद में पारित आदेश दिनांक 06.09.2014 एवं इस आदेश को चुनौती देते अनावेदक क्र. 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत अपील,जो कि अपर जिला न्यायाधीश, मण्डलेश्वर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, जिसमें अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर अनावेदक क्र. 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त की गई थी तथा व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा गया था, किंतु आवेदकगण द्वारा वाद प्रकरण में किसी प्रकार की कोई रूचि नहीं लिये जाने के कारण उक्त वाद आवेदकगण की अनुपस्थिति में निरस्त किया गया था, जिसकी भी कोई अपील आवेदकगण द्वारा नहीं की गई। इस प्रकार जहां आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत वाद ही निरस्त किया जा चुका है, तब ऐसी स्थिति में प्रकरण में पारित अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश का कोई अस्तित्व विधिक दृष्टिकोण से नहीं रहता है एवं आदेश अपने आप में प्रभाव शून्य हो जाता है, इस प्रास्थिति पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया था, किंतु अपर आयुक्त द्वारा इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हुये अनावेदक क्र. 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत अपील एवं उसमें उठाये गये आधारों को उचित मानकर अनावेदक क्र. 1 व 2 के पक्ष में आदेश पारित करते हुए अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा पारित त्रुटिपूर्ण आदेशों को अपास्त किया गया है, ऐसी स्थिति में भी अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश एक विधिसम्मत आदेश रहा होकर, जिसमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तन-परिवर्धन विधि अनुसार पोषणीय नहीं है, ना ही आवेदकगण

द्वारा प्रस्तुत निगरानी में ऐसा कोई ठोस एवं प्रमाणिक आधार ही उठाया गया है, जिसके आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश को अपास्त या संशोधित किया जा सके।

(3) अनावेदक क्र. 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र तहसीलदार द्वारा निरस्त किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण आदेश रहा है। व्यवहार न्यायालय/अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि इस आदेश का प्रभाव प्रकरण के अंतिम निराकरण पर नहीं पड़ेगा, ऐसी स्थिति में भी व्यवहार न्यायालय/अपीलीय न्यायालय की इस टिप्पणी पर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है, केवल व्यवहार न्यायालय में चले प्रकरण को आधार मात्र मानकर अनावेदक क्र. 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं उसके तारतम्य में प्रस्तुत अपील को निरस्त किया गया है, जो अपने आप में अविधिक स्वरूप का होने के साथ साथ अनावेदक क्र. 1 व 2 के हितों को सारवान व विपरीत रूप से प्रभावित करने वाला रहा है, इस स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा समझने के उपरांत ही दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को अपास्त करते हुए अनावेदक क्र. 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकारते हुए अनावेदक क्र. 1 व 2 के पक्ष में उचित एवं विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। व्यवहार न्यायालय में आवेदकगण द्वारा की गई कार्यवाही का कोई प्रभाव या लाभ आवेदक इस निगरानी में प्राप्त नहीं कर सकता है।

(4) व्यवहार न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह भी टिप्पणी दी गई है कि अनावेदक क्र. 2 व 3 का दाविया रास्ता मौके पर से था या नहीं, यह साक्ष्य का विषय है, जो साक्ष्य से सिद्ध होता है। इस प्रकार अनावेदक क्र. 2 व 3 का रास्ता होने संबंधी कोई निराकरण व्यवहार न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है, वहीं दूसरी ओर हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा अनावेदक क्र. 1 व 2 का वहीवाटी रास्ता पाया गया है, ऐसी स्थिति में भी अनावेदक क्र. 1 व 2 की ओर से सिद्ध किये गये तथ्य के आधार पर वर्तमान निगरानी के माध्यम से आवेदक किसी प्रकार की कोई सहायता/आदेश प्राप्त नहीं कर सकता है, ना ही अपर आयुक्त द्वारा पारित विधिसम्मत आदेश में किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ या परिवर्तन किया जा सकता है।

(5) आवेदक की दुर्भावना व बदनियती इस बात से भी जाहिर होती है कि आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दीवानी वाद में तहसीलदार द्वारा राजस्व प्रकरण क्र. 6-अ/13/12-13 में पारित आदेश दिनांक 10.10.2013 का कोई खुलासा नहीं किया गया है,

जो इस तथ्य को प्रकट व प्रमाणित करता है कि आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय के समक्ष भी सत्य व वास्तविक तथ्यों को छुपाया गया है, ऐसी स्थिति में भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य न होकर अपर आयुक्त द्वारा पारित विधिसम्मत आदेश किसी भी प्रकार से परिवर्तन योग्य नहीं है।

(6) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन, जिसमें मौकें पर अनावेदक क्र. 1 व 2 का वहीवाटी रास्ता पाया गया है एवं उक्त मौका पंचनामा में यह भी उल्लेख किया गया है कि आवेदक एक्स से वाय रोड जो कि अनावेदक क्र. 1 व 2 के लिए वैकल्पिक रास्ता बता रहे हैं, ऐसा कोई रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं पाया गया है, ऐसी स्थिति में भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील अपर आयुक्त द्वारा पारित विधिसम्मत आदेश एवं उसके माध्यम से किये गये निर्धारण के आलोक में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, ना ही अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन, परिवर्धन, संशोधन आदि ही किया जा सकता है।

(7) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.02.2016 को विधिसम्मत माना गया है, जबकि उक्त आदेश पूर्णतः अवैधानिक रहा है, साथ ही अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28.02.2017 को आदेश पारित कर दिया गया, उसके उपरांत नजरी नक्शा एवं मौका पंचनामा तहसीलदार, हल्का पटवारी व ग्राम पंचान के समक्ष मौके पर उपस्थित होकर बनाया था, वह दिनांक 9.03.2017 को नजरी नक्शा के साथ प्रस्तुत हुआ है। उक्त प्रतिवेदन के बगैर ही आदेश पारित करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है। सबब भी उक्त प्रतिवेदन व नजरी नक्शा पर विचार करते हुए अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28.02.2017 को पारित आदेश को अपास्त किये जाने हेतु पर्याप्त आधार होने से आदेश को अपास्त किया गया है, ऐसी स्थिति में भी अपर आयुक्त द्वारा पारित विधिसम्मत आदेश को किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

अतः उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ अनावेदक क्र. 3 व 4 के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा रही है।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के पक्ष के विरूद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा का प्रभाव अब समाप्त हो गया है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार के समक्ष पूर्व में आवेदित प्रकरण जो संहिता की धारा 131 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर सृजित था, अब पुन: जीवित हो गया है। परिणामस्वरूप उस प्रकरण में तत्समय जारी अंतरिम आदेश भी पुन: प्रभावी हो गया है। उक्त समस्त तथ्यों की याचना करते हुए अनावेदक क्र. 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर तहसीलदार को प्रकरण में कार्यवाही करनी थी, जो न कर प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया गया। अत: तहसील न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र निरस्त कर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। चूंकि उक्त आदेश की पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी की गई है, इसलिए अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के त्रुटिपूर्ण आदेशों को निरस्त कर वैधानिक एवं उचित आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.2017 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर